फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा:– 251(क) आरटीए

खेताराम **बनाम** गुरदयालसिंह (फौत) अंग्रेजसिंह व अन्य

प्रकरण संख्या:– 305/2022

GCMS:- 2022/232

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 2 जीडीएम प0न0 40/63 (8) कि0न0 16,17,23 ता 25 = 1.265 है0 भूमि खातेदारी हैं। उक्त भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही हैं। प्रार्थी वर्तमान में इसी प0न0 40/63 के कि0न0 21/2, 22 में से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता हैं। जो कि अप्रार्थीगण के नाम से हैं। उक्त अस्थाई रास्ता कि0न0 21 में चल रहें उतर से दक्षिण रास्ता में मिलता हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 2 जीडीएम प0न0 40/63 (8) कि0न0 21/2, 22 में पूर्व से पश्चिम मुरब्बा लाईन पर एक–एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी नं0 1 ता 4, 6 से 9/7 ने जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये रास्ता स्वीकृत हेतु सहमति प्रदान की। अप्रार्थी नं0 5 बाद सूचना हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2022 का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यक्ता दर्शाई गई हैं एवं प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता का अभाव भी दर्शाया गया हैं। राज्य हित में रास्ता स्वीकृत करने हेतु भी सहमति प्रदान की गई हैं। रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थीगण को भी कोई आपत्ति नही हैं। अतः हम न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं जैर प्रार्थना पत्र भूमि चक 2 जीडीएम प0न0 40/63 (8) कि0न0 21/2, 22 में पूर्व से पश्चिम मुरब्बा लाईन पर एक–एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं रास्ता के एवज में प्रार्थी के नाम से दर्ज भूमि में से चक 2 जीडीएम प0न0 40/63 (8) कि0न0 16,17 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा भूमि पासा उतर पूर्व पश्चिम लम्बी प्रार्थी के खाता में कम कर अप्रार्थीगण के नाम हिस्सा मुताबिक दर्ज की जावें। निर्णयानुसार [illegible] रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ को तहरीर जारी हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.11.07 11:50:32 IST Reason: SelfAttested (संदीप काकड़) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ